रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 12 अगस्त, 1986/21 श्रावण, 1908

हिमाचल प्रदेश सरकार

निर्वाचन विभाग

शुद्धि पत्र

शिमला-171002, 29 मई, 1986

संख्या 4-1/86-ई० एल० एन०.—तारीख 6 सितम्बर, 1985 के राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश नगरनिगम में निर्वाचन नियम, 1985 की अधिसूचना संख्या 4-1/83-ई० एल० एन० तारीख 24 अगस्त, 1985 में अंक "33" के पश्चात् और शब्द "द्वारा" से पूर्व शब्द और अंक "और धारा 37" अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

[*Authoritative English text of Corrigendum No. 4-1/86-ELN, dated the 29th May, 1986, is hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, as required under Article 348 (3) of the Constitution of India.*]

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 29th May, 1986

No. 4-1/86-ELN.—In the notification of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Election Rules, 1985, published *vide* No. 4-1/83-ELN, dated the 24th August, 1985, in the Extraordinary issued dated the 6th September, 1985 of the Rajpatra, Himachal Pradesh for the word and figure "section 33" the words and figures "sections 33 and 37" shall be substituted.

अधिसूचना

शिमला-171002, 29 मई, 1986

संख्या 4-1/86-ई0 एल0 एन0.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल ऐक्ट, 1979 (1980 का ऐक्ट सं0 9) की धारा 33 और 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस सरकार की अधिसूचना संख्या 4-1/83-ई0 एल0 एन0 तारीख 24 अगस्त, 1985 के साथ तारीख 6 सितम्बर, 1985 के राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम, 1985 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन (द्वितीय संशोधन) नियम, 1986 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भाग-7 का प्रतिस्थापन.—हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम, 1985 के भाग 7 के लिए, जिस में 82 से 85 तक नियम अन्तर्विष्ट हैं, निम्नलिखित भाग-7 प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

भाग-7

82. महापौर/उप-महापौर का निर्वाचन—(1) ज्यूं ही पार्षदों के नाम, अधिनियम की धारा 16 के अधीन शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं, मंडल आयुक्त एक बैठक बुलाएगा जिस में पार्षद को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई जाएगी प्रतिज्ञान कराया जाएगा और महापौर/उप-महापौर का निर्वाचन भी किया जाएगा :

परन्तु ऐसी बैठक तक तब नहीं होगी जब तक पार्षदों को ऐसी बैठक का नोटिस, उनके साधारण निवास स्थान पर तामील कराके नहीं दे दिया जाता है जो बहतर घण्टों से कम का नहीं होगा जिस में तारीख, समय और स्थान जहां पर बैठक होनी नियत हुई हो दर्शाया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन बुलाई गई बैठक में सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाए जाने/प्रतिज्ञान कराने के पश्चात मंडल आयुक्त महापौर और उप-महापौर के प्रत्येक पद के लिए प्ररूप 37-"क" में नामांकन पत्र आमन्त्रित करेगा और प्रस्थापक द्वारा समयक रूप में हस्ताक्षरित और अभ्यर्थी द्वारा अनुमत नामांकन पत्र मण्डल-आयुक्त को परिदत्त किए जाएंगे :

परन्तु पार्षद उक्त पद के लिए, एक ही अभ्यर्थी के नामांकन का प्रस्थापन कर सकेगा :

परन्तु यह और भी कि पार्षद केवल सत्यनिष्ठा की शपथ दिए जाने/प्रतिज्ञान किए जाने के पश्चात् ही नाम-निर्दिष्ट कर सकेगा या नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा ।

(3) यदि पद के लिए केवल एक ही अभ्यर्थी का नाम प्रस्थापित किया गया हो तो मंडल आयुक्त यथास्थिति ऐसे अभ्यर्थी को महापौर या उप-महापौर के पद के लिए निर्वाचित घोषित करेगा ।

(4) यदि एक पद के लिए दो या उससे अधिक अभ्यर्थी हों तो इस के लिए बैठक में मतदान होगा जिसकी अध्यक्षता अधिनियम की धारा 59 के खण्ड (ए) के अधीन मंडल आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट पार्षद द्वारा की जाएगी ।

(5) महापौर और उप-महापौर के निर्वाचन में प्रयुक्त होने वाले मतपत्र प्ररूप 38 में होंगे और उनकी विशिष्टियां हिन्दी में देवनागरी लिपि में होंगी और नाम वर्णानुक्रमिक में किए जाएंगे ।

83. महापौर और उप-महापौर के निर्वाचन के मतदान की रीति.—(1) ऐसे निर्वाचन में मतदान निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा:—

(क) पार्षदों को मतपत्र जारी करने से पूर्व, मंडल आयुक्त मतपत्रों के पीछे पहचान के लिए अपने हस्ताक्षर करेगा;

(ख) मतपत्र प्राप्त करने पर पार्षद, उस अभ्यर्थी के नाम के सामने जिसके पक्ष में वह अपना मत देना चाहता है (×) चिन्ह लगाएगा ;

(ग) पार्षद अपने मत को छिपाने के लिए मतपत्र को मोड़ेगा और मोड़े हुए मतपत्र को वह उस मतपेटी में डालेगा जो इस प्रयोजन के लिये पीठासीन अधिकारी के आगे रखी हुई है ।

(2) मतदान सम्पूर्ण हो जाने पर, पीठासीन अधिकारी मतपेटी को खोलेगा और पार्षदों की उपस्थिति में मतों की गणना करेगा। जहां तक व्यवहार्य हो, ऐसी गणना के लिए नियम 71 और 72 के उपबन्ध लागू होंगे ।

(3) सब से अधिक विधिमान्य मत प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसे पद के लिए निर्वाचित घोषित किया जाएगा :

परन्तु यदि गणना के पश्चात किन्हीं अभ्यर्थियों को एक समान मत प्राप्त हो, और एक मत और प्राप्त करने पर ऐसा अभ्यर्थी निर्वाचित हो रहा हो तो बैठक को अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति इसका निर्णय अभ्यर्थियों की उपस्थिति में भाग्य पत्रक द्वारा करेगा और जिस अभ्यर्थी के पक्ष में भाग्य पत्रक निकलेगा उसके पक्ष में अतिरिक्त मत समझा जाएगा और उसे समथक रूप में निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा ।

(4) ऐसे मतदान के लिए प्रयुक्त समस्त नामांकन पत्र और मतपत्र एक लिफाफे में रखे जाएंगे जिसे उस बैठक में उपस्थित पार्षदों के सामने मंडल आयुक्त द्वारा मोहरबन्द किया जाएगा और उस पर निर्वाचन का, जिस से कागजात सम्बन्धित हों, विवरण दिया जाएगा और मंडल आयुक्त लिफाफे को, अपने कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे वह लिखित रूप में विनिर्दिष्ट करे, निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति तक ठीक परिरक्षित रखेगा और इसकी अन्तर्वस्तु सहित उसे ऐसी रीति से नष्ट कराएगा जैसी वह उचित समझे ।

(5) मंडल आयुक्त, प्ररूप 39 में निर्वाचन विवरणी तैयार करेगा और निदेशक को सूचना और अभिलेख के लिए अग्रेषित करेगा।

(6) निदेशक, महापौर/उप-महापौर का निर्वाचन परिणाम, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करवाएगा।

84. महापौर और उप-महापौर के निर्वाचन के लिए दूसरी बैठक का बुलाया जाना.—मण्डल आयुक्त अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (2) के अधीन महापौर और उप-महापौर के निर्वाचन के लिए पार्षदों की दूसरी बैठक बुलाएगा और ऐसा निर्वाचन कराने के लिए, इन नियमों के नियम 82 और 83 में यथा विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

85. महापौर और उप-महापौर के पदों की आकस्मिक रिक्तियां ..... जब महापौर और उप-महापौर की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने के कारण, कोई पद रिक्त हो जाए और उसके स्थान पर अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (3) के उपबन्धों के अनुसार नये महापौर और उप-महापौर को निर्वाचित किया जाना हो तो इसके लिए निर्वाचन, इन नियमों में महापौर और उप-महापौर के निर्वाचन के लिए विहित रीति में किया जाएगा।

3. प्ररूप 37-क का जोड़ा जाना.—कथित नियमों के प्ररूप 37 के पश्चात, निम्नलिखित नया प्रारूप 37-क जोड़ा जाएगा, अर्थात—

प्ररूप 37-क

[(नियम 82 (2) देखें)]

नामांकन-पत्र

शिमला नगर निगम के महापौर/उप-महापौर का निर्वाचन ।

(प्रस्थापक द्वारा भरा जाएगा)

मैं, एतद्द्वारा ..... को ..... के पद के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूं।

1. प्रस्थापक का पूरा नाम .....

तारीख: .....

प्रस्थापक के हस्ताक्षर

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा)

मैं, पूर्वोक्त अभ्यर्थी इस नामांकन पत्र के लिए अपनी अनुमति देता हूं।

तारीख :— .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर।

नामांकन पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का निर्णय

मैंने इस नामांकन-पत्र का परीक्षण कर लिया है और इस पर निम्नलिखित निर्णय देता हूं :—

तारीख :

मंडल आयुक्त के हस्ताक्षर।

[*Authoritative English text of the Notification No. 4-1/86-ELN, dated 29th May, 1986, is hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, as required under Article 348 (3) of the Constitution of India.*]

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th May, 1986

No. 4-1/86-ELN.—In exercise of the powers conferred by section 33 and 37 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1979 (Act No. 9 of 1980) the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following amendments in the Himachal Pradesh Municipal Corporation Election Rules, 1985, published *vide* this Government Notification No. 4-1/83-ELN, dated 24th August, 1985 in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extraordinary) dated 6th September, 1985, namely.—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation Election (Second Amendment) Rules, 1986.

(2) These shall come into force at once.

2. *Substitution of Part-VII.*—For Part-VII containing rules 82 to 85 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Election Rules, 1985 (herein after called the said rules) the following Part VII shall be substituted, namely:—

PART VII

82. *Election of Mayor/Deputy Mayor.*—(1) As soon as the names of Councillors are published in the Official Gazette under section 16 of the Act, the Divisional Commissioner shall convene a meeting in which oath/affirmation of allegiance shall be administered to the Councillors and the election of Mayor/Deputy Mayor shall be held:

Provided that no such meeting shall be held unless not less than 72 hours' notice has been given to the Councillors by its delivery at their place of ordinary residence and such a notice shall specify the date, time and place for holding such a meeting.

(2) In the meeting convened under sub-rule (1), after administration of oath/affirmation of allegiance to the Councillors, the Divisional Commissioner shall invite nominations in Form 37-A for each office of Mayor and Deputy Mayor and the nomination papers duly signed by a proposer and assented to by the candidate, shall be delivered to the Divisional Commissioner:

Provided that a Councillor can propose the nomination of one candidate for an office:

Provided further that a Councillor shall be entitled to nominate or to be nominated only after the administration of the oath/affirmation of allegiance to him.

(3) If only one candidate for the office is proposed, the Divisional Commissioner shall declare such a candidate elected to fill the office of Mayor or Deputy Mayor as the case may be.

(4) If there are two or more candidates for an office a poll shall be held in the meeting which shall be presided over by a Councillor nominated by the Divisional Commissioner under clause (*a*) of section 59 of the Act.

(5) Ballot papers to be used at election of Mayor and Deputy Mayor shall be in Form-38 and the particulars therein shall be in Hindi in Devanagri script and the names shall be in alphabatical order.

83. *Method of voting of the election of Mayor and Deputy Mayor.*—(1) The procedure of voting at such election shall be as under:—

(*a*) before issuing the ballot papers to the Councillors the Divisional Commissioner shall put his signature on the back of the same in token of distinguishing mark;

(*b*) the Councillor on receipt of the ballot paper shall make a cross mark (X) against the name of the candidate for whom he intends to vote;

(*c*) the Councillor shall fold the ballot paper so as to conceal his vote and insert the folded ballot paper into the balllot box kept for the purpose in front of the presiding officer.

(2) After the polling is over the presiding officer shall open the ballot box and shall count the votes in the presence of the Councillors. The provisions of rules 71 and 72 shall apply, as far as may be practicable, to such counting.

(3) A candidate obtaining the largest number of valid votes shall be declared elected by the presiding officer to fill the office:

Provided that is, after the counting of votes, equality of votes is found between any candidates and that the addition of a vote will entitle any of these candidates to be declared elected, the person presiding over the meeting shall forthwith decide between them by lot in their presence and the candidate on whom the lot falls shall be considered to have received. an additional vote and shall be declared to be duly elected.

(4) All nomination papers and ballot papers used for such voting shall enclosed in an envelope and sealed by the Divisional Commissioner in full view of the Councillors present in the meeting and the description of the election to which the papers relate shall be inscribed thereon and shall preserve the envelope intact either in his office or at such other place as he may specify in wrtiting until the expiry of one year from the date of the election and cause it to be disposed of together with its contents in such manner as he may deem fit.

(5) The Divisional Commissioner shall prepare and forward the return of election in Form 39 to the Director for information and record.

(6) The Director shall publish the result of the election of Mayor and Deputy Mayor in the official gazette.

84. *Convening of second meeting for election of Mayor and Deputy Mayor.*—The Divisional Commissioner shall convene a second meeting of the Councillors for the election of Mayor and Deputy Mayor under sub-rule (2) of section 37 of the Act and he shall follow the procedure prescribed for holding such election under rules 82 and 83 of these rules.

85. *Casual vacancies of Mayor and Deputy Mayor.*—When a vacancy occurs by death, resignation or removal of the Mayor and Deputy Mayor, and a new Mayor and Deputy Mayor is to be

elected in his place in accordance with the provisions of sub-section (3) of section 37 of the Act, such election shall be conducted in the manner prescribed in these rules for the election of Mayor and Deputy Mayor.

3. *Addition of Form* 37-*A*.—After Form 37 of the said rules, the following new Form 37-A shall be added, namely:—

FORM 37-A

[*See* rule 82 (2)]

NOMINATION PAPER

ELECTION OF MAYOR/DEPUTY MAYOR, MUNICIPAL CORPORATION, SHIMLA

(To be filled in by the proposer)

I hereby nominate.....as a candidate for election as .....

I, Full name of proposer.....

Dated..... *Signature of the Proposer.*

(To be filled in by the candidate)

I, the above-named candidate, assent to this nomination.

Dated..... *Signature of the candidate.*

DECISION ACCEPTING OR REJECTING THE NOMINATION PAPER

I have examined this nomination paper and decide as under :—

Dated..... *Signature of Divisional Commissioner.*

By order,
ATTAR SINGH,
Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।